न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2014 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा	बनाम 1 श्री सोकत खां पिता केसरखां कायमखानी निवासी जवाहरनगर, तहसील भीलवाड़ा
–प्रार्थी	–विपक्षी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक 22.07.2019

यह प्रकरण मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश कमांक/रेफरेन्स/एलआर/4194/07/भीलवाडा दिनांक 15.01.2014 से प्राप्त होकर निर्णय दिनांक 13.10.2013 से रेफरेन्स आंशिक स्वीकार कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण करा रेफरेंस प्रस्तुत किया जावे ।

रेफरेंस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, भीलवाडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत तहसील भीलवाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा में स्थित साबिक आराजी सं. 14 रकबा 55.50 बीघा भूमि जो महादेवजी मंदिर के पुजारी श्री शिवगिरी पिता दौलतगिरी के खाते में अभिलिखित थी। उक्त इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2009 से 2013 हैं । बंदोबस्त के दौरान भू भाग के नवीन खसरा सं. 1478 रकबा 1.04 बीघा कायम कर अप्रार्थी के नाम रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया । विवादित आराजी गत अभिलेख में महादेवजी मंदिर के पुजारी श्री शिवगिरी पिता दौलतगिरी की नहीं होकर मंदिर मूर्ति की भूमि थी । मंदिर मूर्ति के स्वामित्व की आराजी को बिना किसी सक्षम आदेश के विपक्षी के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दिया गया, जो नियम विरूद्व होने से निरस्तनीय हैं । इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्तियों के खाते में दर्ज कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। कालान्तर विवादित आराजी विपक्षी के नाम राजस्व रिकार्ड में परिवर्तित कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13.04.2007 द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.2013 में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह परीक्षण किया जावे कि विवादित आराजी नवीन खसरा सं. 1478 रकबा 1.04 बीघा भूमि

मंदिर मूर्ति श्री महादेवजी के नाम किस राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। इसका कोई दस्तावेजात संलग्न नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी पूर्व में पुजारी श्री शिवगिरी पुत्र दौलतगिरी के खाते में दर्ज होने कारण मंदिर मूर्ति के नाम किस आधार पर मानी जा सकती हैं, इस बाबत् भी कोई स्पष्ट अभिमत रेफरेंस में उल्लेखित नहीं है।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 20.01.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं । प्रकरण मे प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा वर्तमान आ.नं. 1478 की जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेण्ट की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की एवं विपक्षी द्वारा किसी प्रकार कोई रेकार्ड/जवाब प्रस्तुत नहीं कराया गया हैं। प्रकरण में दिनांक 27.07.2017 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम पांसल की जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 में खाता सं. 375 में आराजी नं. कुल किता 14 रकबा 55.05 भूमि पर श्री महादेव जी पुजारी शिवगिरी पिता दौलतगिरी गुसांई के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे सेटलमेण्ट विभाग द्वारा अल्लादीन पिता अली मोहम्मद मुसलमान सा.देह के नाम पर विधि विरूद्व दर्ज कर दी गयी।

ग्राम पांसल के आराजी नं. 1478 रकबा 1.04 बीघा भूमि के साबिक आराजी नं. 804 रकबा 1.14 बीघा से बने होकर खसरा परिशोधन पत्र भू प्रबन्ध विभाग की छाया प्रमाणित प्रति तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

ग्राम पांसल के साबिक आराजी नं. 804 रकबा 1.14 महादेव जी के नाम की होकर अल्लादीन वल्द अली मोहम्मद के नाम दर्ज की गयी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सोकत खां पिता केसर खां कायमखानी निवासी जवाहरनगर भीलवाडा के नाम विधि विरूद्व दर्ज चली आ रही है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से

पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री महादेव जी मंदिर स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि ग्राम पांसल की जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 में खाता सं. 375 में आराजी नं. कुल किता 14 रकबा 55.05 भूमि पर श्री महादेव जी पुजारी शिवगिरी पिता दौलतगिरी गुसांई के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

अतः प्रस्तुत रेफरेन्स राज0 भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अर्न्तगत प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त वर्णित हाल आराजी खसरा नम्बर 804 रकबा 1.14 भूमि पुनः श्री महादेवजी मंदिर के नाम अभिलिखित करवाई जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
भीलवाडा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)